पक्षकारों एवं अ
आदि के हस्ता

15

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1040/11/2005 विरूद्व आदेश दिनांक 11.5.2005 –पारित– अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग,ग्वालियर – प्रकरण कमांक 125/97–98 निगरानी

शिवदयाल पुत्र भँवरसिंह यादव,
ग्राम करोठा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूध्द

1– ठाकुर दास पुत्र मन्नूलाल यादव
ग्राम करोठा तहसील करैरा
शिवपुरी मध्य प्रदेश
2– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी
अनावेदक 1 के विरूद्व एकपक्षीय
अनावेदक क–2 के पैनल अभिभाषक श्री बी.एन.त्यागी

आदेश

(आज दिनांक 2–4– 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 125/97–98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11–5–2005 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसील न्यायालय करैरा के प्रकरण कमांक 50/94–95 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 13–2–95 से ग्राम करौठा स्थित भूमि सर्वे कमांक 952 रकबा 1.00 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) आवेदक के हित में आवंटित की गई। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक–1 ने अनुविभागीय अधिकारी, करैरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने प्रकरण कमांक 88/97–98 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–7–98 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 13.2.95 निरस्त किया तथा वादग्रस्त भूमि पूर्ववत् कोटवार के सेवा खाते हेतु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये । इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष

निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 125/97–98 में पारित आदेश दिनांक 11–5–05 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ आवेदक एंव अनावेदक क–2 के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये । अनावेदक कमांक–1 के अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 13–2–95 से किया है क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर आवेदक का कब्जा 2–10–84 के पूर्व से लगातार चला आ रहा है। अनुविभागीय अधिकारी करैरा के समक्ष अपीलकर्ता नायव तहसीलदार के समक्ष पक्षकार नहीं था इसलिये उसे अपील करने का बैधानिक अधिकार नहीं है किन्तु अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त ने इस बिन्दु पर विचार नहीं किया है। अपर आयुक्त व्दारा निर्णय दिया गया है कि भूमि सेवाखाते की है जबकि ऐसा कोई अभिलेख रिकार्ड में नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जावें।

5/ आवेदक एंव अनावेदक क–2 के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक को 2–10–84 के पूर्व से लगातार कब्जा होने के कारण म0प्र0कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवंटित की गई है। नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 50/94–95/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 13–2–95 के पद 3 का उद्धरण इस प्रकार है –

" अतः राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका चार (3) की कंडिका 24 के अंतर्गत कारोठा की भूमि सर्वे क0 952 रकबा 1.00 है. लगानी 01.00 शिवदायल पुत्र भमरसिंह जाति यादव नि0ग्राम कारोठा को बंटित की जाकर उसके खाते की भूमि व्यवस्थापन किया जाता है। "

स्पष्ट है कि आवेदक के अभिभाषक ने प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के विपरीत तर्क दिया है जो माने जाने योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदक को भूमि राजस्व पुस्तक

परिपत्र चार-4 के अंतर्गत आवंटित हुई है।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने यह भी बताया है कि तहसील न्यायालय में अनावेदक क-1 पक्षकार नहीं है इसलिये उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार नहीं है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 44 - सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 30 - अपील - सार्वजनिक भूमि का बन्टन किया गया - प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति का सार्वजनिक भूमि पर हित निहित - प्रत्येक ग्रामीण व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में होने से अपील कर सकता है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 44 - सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 30 - अपील - ग्रामीणों की सुविधा हेतु शासन व्दारा रक्षित भूमि - यदि स्थानीय ग्रामीण व्यक्ति निचले न्यायालय में पक्षकार न हो, तथापि उसके हित प्रभावित होने का बोध हो - अपील कर सकता है।

उपरोक्त कारणों से आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत यह तर्क भी मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि बन्टन के पूर्व शासकीय है और शासकीय भूमि में प्रत्येक ग्रामीण का हित निहित होता है।

7/ अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा विवेचना कर निष्कर्ष निकाला है कि वादग्रस्त भूमि कोटवार के सेवाखाते हेतु बन्टन के पूर्व में रक्षित रही है जिसके कारण उन्होंने आदेश दिनांक 11-5-05 से पुनः कोटवार के सेवाखाते हेतु शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये हैं जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि नजर नहीं आती है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 125/97-98 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-5-2005 विधिवत् होने से स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर